

प्राची वनों विभाग—भूगोल  
का नाम, दिनांक 2 जुलाई 1976  
का

प्राची वनों विभाग के लिए इसका विवरण है:  
मही मई अनुसूची के विविध शब्द, वनों जैव वनों उनके  
लिये अधिकारीक अंतरिक्षीय वन रोकथांग करते, उसका विस्तार इसा  
विवरण करते के प्राप्ति जाति तथा प्राणी विज्ञान की  
दृष्टिकोणीय पर्यावरण का है।

प्राची वनों विभाग के लिए विवरण का नाम भूगोल  
की धारा 18 की उत्तरार्द्ध (1) द्वारा प्रदत्त विविधों को प्रयोग  
में लाते हैं, राज्य वनों, एवं दृष्टिकोणीय वनों वनों पक्षी तथा  
पक्षी के लिए राज्याली व्यावरण के रूप में सौमित्र करता है।

### प्राची वनों विभाग परिवर्तन

जिला—रायसेन तहसील गोहरपांज, परिवेश—गोहरपांज, दक्षिण,  
सुल्तानपुर, का गड्ढाली सामान्य—गोहरपांजी धूंग मंडल, आगरारण्ड  
का नाम—राज्याली विविधक—630.67 वर्ग कि. मी.  
(53066.56 हेक्टेक), तथा 15 करोड़ 53 लाख

प्राची वनों विभाग परिवर्तन—रीप्पील बृक्ष-उद्यान-परिवर्तन का नाम  
उत्तर—परिवर्तन अवशुल्कागत कीपी, एक विद्युतप्रौद्योगिक संस्थान  
की 958, 957, 953, 952, 951, 950, 959, 960 वर्ग कि. मी. के उत्तरी सौमित्र तथा विविध  
पुल्लामानुर वंश गोहरपांजी की सीमा रखा परिवर्तन सुल्तानपुर  
का नाम पुर से प्रारम्भ होकर क. 445 तक पी. डब्ल्यू. डी. रोड़।

पूर्व—परिवेश विविधी रुक्तानिपुरो के क. 445, 446, 447,  
449, 450 की पूर्वी रोमा रेखा तथा क. 466, 467,  
एवं 48 से 489 तक 489 की उत्तरी रोमा रेखा एवं परिवेश की बोडी  
की पूर्वी ओर कम्पार्टमेंट का नाम 290, 722 की पूर्वी रीमी रेखा  
की उत्तरी ओर क. 445 तक रेखा एवं उत्तरी रेखा द्वारा घेरा है।

दक्षिण—कम्पार्टमेंट चंगानि 722, 293, 295, 296, 297  
की दक्षिण सीमा रेखा एवं वन गण्डल सीदौर की सीमा  
रेखा।

प्राची वनों विभाग के लिए विवरण  
प्रस्तुतिका नाम—रायसेन वनों विभाग  
रोमों विवरण—परिवेश अवशुल्कागत व परिवेश रेहडी की सीमा  
से प्रारम्भ होकर क. 958 तक रेहडी ओर अवशुल्कागत परों  
द्वारा डी. पार्स. वाला रेखा तक।

सामग्री—रायसेन, तहसील—वरेली, विविधाली, परिवेश  
विवरण—ग्रामीण वनों विभाग—रियाई शब्दकला—28790.12  
हेक्टेक (287.90 कि. मी.)।

पूर्व—परिवेश विवरण की सीमा रेखा तथा क. 236, 271, 271, 247, 258, 264, 265 तक 266 की सीमा  
रेखा।

पूर्व—परिवेश विवरण की सीमा रेखा तथा क. 266, 267, 270, 271,  
275, 276, 277, 278, 279  
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,  
288 की सीमा रेखा।

पश्चिम—परिवेश विवरण की सीमा रेखा तथा क. 527, 529  
529, 524, 523, 522, 521, 519, 520, 519  
518, 517 तथा 240 की सीमा रेखा।

गढ़ाप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार,  
आर. गी. विवरण द्वारा, उपरिचित।

परिवर्तन, दिनांक 2 जुलाई 1976।

का 15-4-76-दस्त-2.—गोरत के युविधान के अनुज्ञादे 348  
के छान्द (2) के अनुसरण में इस विवाह की अधिसूचना का 15-  
4-76-दस्त-2, दिनांक 2 जुलाई 1976 का यथोर्जी ग्रन्त्याद राज्यपाल  
के अधिकारी से एस्ट्राट्रांप्राकाशित किया जाता है।

गढ़ाप्रदेश के राज्यपाल के नाम में वहा अदेशानुसार  
आर. गी. विवरण, उपरिचित।

No. 15-4-76-X-(2).—Whereas the State Government  
Considers that the area specified in the Schedule below  
is of adequate faunal and zoological significance for  
the purpose of protecting, propagating and developing  
wild-life and its environments;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by  
sub-section (1) of section 18 of the Wild Life (Protection)  
Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby  
declare the said areas as Ratapani Game Sanctuary  
for the birds and animals in the said sanctuary;

**Schedule:**  
District—Raisen, Helal-Goharganj; Range—Goharganj;  
South Sultanpur; Name of Division—Bhopal; Division;  
Name of Sanctuary—Ratapani; Area—  
53066.56 Hectares (530.67 Sq. K. M.).

**Boundaries:**

**North**—Northern boundary line of compartment  
Nos. 956, 957, 953, 952, 951, 959 and 960 and  
Southern boundary line of compartment No.  
310, 309 and Northern boundary line of compartment  
No. 967 and Western boundary line of compartment  
Nos. 842, 829, 841, 845, 853, 854,  
855 and Northern boundary line of compartment  
No. 877 and boundary line of Range: South  
Sultanpur and Goharganj and P.W.D. Road  
from boundary line of Range Goharganj and  
South Sultanpur to compartment No. 445.

**East**—Eastern boundary line of compartment Nos.  
445, 446, 447, 449, 463 and Northern boundary  
line of compartment No. 466, 467, 488, 489 and  
Eastern boundary line of compartment Nos. 291  
722 of Range Bari.

*With*—boundary line of compartment Nos. 295, 296, 297 and boundary line of West Bhopal Division.

*West*—P. W. D. Road from boundary line of Rehti and Obedullaganj Range to compartment No. 958.

*District*—Raisen, Tehsil—Bareli and Silwani, Range, Name of Sanctuary—Sindhori, Area—28791.42 acres (287.91 Sq. K. M.).

### Boundaries

*North*—Boundary line of Division Raisen.

*East*—Boundary line of Range Silwani and boundary line of compartment Nos. 246, 710, 711, 287, 253, 265 and 266.

*South*—Boundary line of compartment Nos. 266, 714, 269, 270, 271, 275, 276, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 718, 282, 719, 285, 286, 287, 288.

*West*—Boundary line of compartment Nos. 288, 287 and 527, 528, 529, 524, 523, 522, 521, 748, 520, 519, 518, 517 and 240.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
R. C. SAXENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 1976.

क्र. 3992-2261-दस-2-76.—बच्चे प्राणी (संरक्षण) अधिकार (१) के अनुरूप इसका कारितात को प्राप्त करते हुये, राज्य शासन एतद्वारा निर्देशित बताती है कि उपरोक्त प्राप्तिवाप्ति से १ से ३ में वर्गित किसी भी बच्चे प्राणी का सामान बच्चे प्राणी का ट्राईल जिस वित्ती व्यवस्था के कठनों में हो, उसे वह जव के प्रत्यक्ष बच्चे प्राणी अनिवार्य, भी बच्चे प्राणी अधिकार (बच्चे का विवरण) का ३। दिवावारा ५८० रुपये दिवावारा ५८० रुपये, १८०, १२०, ८००, ६००, ४००, २००, १५० रुपये के राजसत् उपलब्ध कराया गया राज्यशासन,

नियमित रूप से विवरण के अनुच्छेद

Bhopal, the 5th July 1976.

No. 3992-2261-X-(2)-76.—In exercise of the powers conferred under section 49 (4) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and in succession of the notification of the Government of Madhya Pradesh Forest Department Bhopal No. 5929-3610-X-2-75, date 9th December 1975, the State Government, hereby directs that all persons in possession of any animal article or trophy of animals detailed in Schedule I to II of the said Act should declare such possession to the Chief Wild Life Warden or Wild Life Warens (Divisional Forest Officers) of the State by the 31st December 1976.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
R. C. SAXENA, Dy. S.

### पृथक् आगम विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 1976.

क्र. 1616-4220-पांच-पू. ग्रा.-76.—मध्यप्रदेश एक्टरटे नमेन्द्य उपटी एप्ड एडवरस्टाइजमेंट्स टेब्ल एट, 1936 (३० मार्च १९३६) की धारा 11 धारा प्रदत् विविधों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, तज्ज्ञ के सारस्त कलेवटों तथा जिता आवाहारी विविधारियों को, उनकी आती-प्राप्ती व्यवस्थात धोखे के गीतर, उन विविधारियों की धारा 3-ए के अधीन विज्ञान वर जी व्यवस्था यथापारित करने की विक्रिया प्रत्यापोजित होता है।

मध्यप्रदेश के दोषाल के वाप से तथा वारेशामुखी, द्वारी एन. वी. उपराजित.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 1976.

क्र. 1616-4220-पांच-पू. ग्रा.—भारत के संविधान के प्रत्यक्षेत ३४९ के खण्ड (३) के अनुरूप में, इस विभाग की अधिकारी क्र. 1616-4220-पांच-पू. ग्रा.-76, दिनांक: 22 अप्रैल 1976 पा अप्रेजी अनुबाद राज्यशासन के प्राधिकार से एतद्वारा प्रत्यक्षित जिता जाता है।

मध्यप्रदेश के दोषाल के वाप से तथा वारेशामुखी, द्वारी एन. वी. उपराजित.

Bhopal, the 22nd April 1976.

No. 1616-4220-V-SR-76.—In exercise of the powers conferred by section 41 of Madhya Pradesh Entertainment Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (XXXV of 1936), the State Government, hereby delegates to all the Collectors and the District Excise Officers in the State the powers to determine within their respective jurisdiction the arrears of advertisement tax due under section 3-A of the said Act, fifty five rupees.